सप्लाई विविध प्रकरण 05/2022 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम मोहम्मद रमजान

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 05/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		मोहम्मद रमजान फर्मः– रमजानी चिकन कॉर्नर, कटारिया चौक,सिवांची गेट जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इंसाफ अली अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13/2/26

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी मोहम्मद रमजान, फर्म रमजानी चिकन कॉर्नर, सिवांची गेट जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा कटारिया चौक सिवांची गेट, जोधपुर स्थित फर्म रमजानी चिकन कॉर्नर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद रमजान पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ बताया । प्रतिष्ठान पर मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.,भारत) का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों में किया जाना पाया गया ।

मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एंव व्यवसायिक के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। मौके पर अवैध रूप से

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

7-4-22

2022

Form No. III

फर्द अहकाम

(1)

सप्लाई विविध प्रकरण 05/2022 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम मोहम्मद रमजान

भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर. नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वनज मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	एचपी	267591	15.3 कि.ग्रा.	15.3 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	भारत	319430	15.2 कि.ग्रा.	19.2 कि.ग्रा.	4.0 कि.ग्रा.

उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री दिनेश विश्नोई पुत्र पाबुराम विश्नोई प्रतिनिधी एचपी चन्द्रा गैस सर्विस गीता भवन को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों, का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में इस कार्यालय से अप्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक 566 दिनांक 09.11.2022 बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंसाफ अली द्वारा न्यायालय हाजा में वकालतनामा प्रस्तुत कर पेशी दिनांक 11.06.2024 को जवाब हेतु समय चाहा गया परन्तु गत 01 वर्ष से प्रकरण में जवाब अप्राप्त। अप्रार्थी अधिवक्ता एंव अप्रार्थी स्वंय बावजूद सूचना न्यायालय में वक्त पेशी अनुपस्थित रहे। वक्त सुनवाई आवाज दी गई परन्तु अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

सप्लाई विविध प्रकरण 05/2022 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम मोहम्मद रमजान

"निष्कर्ष"

हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (1 एच.पी. 1 भारत) व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग करते हुए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में से 01 सिलेण्डर में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई व अन्य 1 सिलेण्डर खाली पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर खाना इत्यादि बनाने हेतु अवैध व्यवसायिक उपयोग किया गया है । उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना/अवैध भण्डारित करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, R.A.S.)
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर